फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी ....किरण............... विपक्षी ....ललिता......................

किस्म मुकदमा..............प्रार्थना पत्र......... पत्रावली संख्या..........128........सन......2019.......

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.10.2019 पत्रवाली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद विक्रय किया जाना जाहिर किया गया। न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व नकलों का अवलोकन किया गया जिससे वादी द्वारा दौराने वाद भूमि का विक्रय किया जाना साबित होता है। जिसकी वादी द्वारा न्यायालय को कोई जानकारी नहीं दी गई। दौराने वाद भूमि के विक्रय बाबत पूछा जाने पर न्यायालय में वादी अधिवक्ता द्वारा भी अनभिज्ञता जाहीर की गई। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गम्भीर नही हैं। एवं दौराने वाद बिना न्यायालय की जानकारी में लाये वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर दिया है। जिससे वादी का हिस्सा वादग्रस्त भूमि में बहुत कम रह गया है। अतः अब हिस्सा कम रह जाने से वादी वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कराने का इच्छुक नहीं रहा है, न ही वादी ने अपने अधिवक्ता को विक्रय की जानकारी दी है। जिससे वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा लगभग समाप्त होकर अब वादी का बंटवाड़े का कोई प्रयोजन नही रहा है एवं बिना बंटवाडा भूमि विक्रय कर दिये जाने से कोई वाद कारण भी शेष नही रहता है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2019.11.21 12:15:49 IST
Reason: SelfAttested